-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब हो कि दिनांक 04.08.2026 की देर शाम थाना कालिंजर पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति ग्राम वैधनपुरवा के पास संदिग्ध रुप से दिखाई दिया। पुलिस द्वारा मौके पर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना कालिंजर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामसुफल उर्फ रज्जू पुत्र रामसिया निवासी गुढ़ाकला थाना कालिंजर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 107/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कालिंदर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष कालिंजर श्री दारा सिंह
2. चौकी प्रभारी गुढ़ाकला श्री प्रवेश कुमार
3. हे0कां0 दिनेश कुमार यादव
4. कां0 आशीष कुमार
5. कां0 अजय पाल
6. कां0 राहुल कुमार यादव